47

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर सं

का

प्रथम वार्षिक अधिवेशन

मुरादनगर

जिला मेरठ (उ० प्र०)

दिनांक ११ व १२ मई, १९६८

प्रकाशक—
महामंत्री, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
२, नवीन मार्केट
कानपुर

मूल्य—३० पैसे

मुद्रक—
टिप-टाप प्रिन्टर्स, २४/९१ बिरहाना रोड,
कानपुर

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रथम अ० भा० अधिवेशन के अवसर पर मुरादनगर (जि० मेरठ) में दि० ११ व १२ मई, १९६८ के दिन

आयोजित सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री व संसद सदस्य

श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी द्वारा दिया गया

उद्घाटन भाषण

प्रिय प्रतिनिधि बन्धुओं,

आज का दिन भारत के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा। क्योंकि प्रतिरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों की राष्ट्रवादी फेडरेशन का निर्माण करने हेतु आज आप सब बन्धु यहां एकत्रित हुए हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से इन संस्थानों का महत्व विशेष है। इनमें राष्ट्र विरोधी तत्वों का प्रभुत्व रहा तो देश की सुरक्षा के लिये घोर संकट पैदा होगा। सन् १९६२ में चीनी आक्रमण के समय एक कम्युनिस्ट नेता ने यह धमकी दी थी कि यदि कम्युनिस्टों को संयुक्त सुरक्षा मोर्चों में सम्मिलित नहीं किया गया तो वे सभी प्रतिरक्षा संस्थानों का कारोबार बन्द करवा देंगे। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी विचारों की दिशा क्या है ? द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ काल में स्टालिन और हिटलर दोनो दोस्त थे। इसलिये फ्रान्स की प्रतिरक्षा संस्थानों में क्रियाशील कम्युनिस्ट यूनियनों ने अपने ही राष्ट्र की सुरक्षा की पीठ में छुरा भोंका (Sabotage किया) और हिटलर की सेना की

सहायता की। जिनका श्रद्धाकेन्द्र देश के बाहर चाहे रूस में हो या चीन में—उनके हाथों में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बागडोर रहना—खतरे से खाली नहीं है।

इनटुक से निराशा

कम्युनिस्टों के अतिरिक्त इस उद्योग में काम करने वाली दूसरी भी फेडरेशन है। और हमें उससे बहुत आशायें थीं किन्तु दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि उस फेडरेशन ने हमको निराश ही किया। वह सरकारी श्रम संगठन के नाते ही काम कर रही है। इस कारण प्रति-रक्षा कर्मचारियों को न्याय दिलाने में वह असमर्थ रही है। इसी कारण कम्युनिष्टों के चंगुल से कर्मचारियों को मुक्त करने का कार्य भी वह नहीं कर सकती। यह बात नहीं कि कम्युनिस्टों ने कर्मचारियों की समस्याओं की सुलझन निकाली है। किन्तु वे कम से कम संघर्षशीलता का नाटक तो करते हैं। इस प्रकार दोनों फेडरेशन कर्मचारियों की उचित मांगें हासिल करने में असमर्थ रही हैं।

दोनों फेडरेशन का आज का रवैय्या कर्मचारियों के हितों की रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नही है। हो सकता है कि प्रारम्भकाल में उन्होंने कुछ अच्छे ढंग से काम चलाया हो किन्तु एक बार सरकारी मान्यता प्राप्त होने के पश्चात दोनों की प्रवृत्तियों में अनुचित परिवर्तन आया है। दोनों के कार्य में सजगता, सतर्कता, दक्षता तथा संघर्ष-क्षमता का अभाव दिखाई देता है। उदासीनता बढ़ती जा रही है। प्रतिष्ठा प्राप्ति के फलस्वरूप दोनों में शिथिलता आ गई है।

कर्मचारियों की समस्यायें

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की अनन्त समस्यायें हैं। सबकी गिनती करना यहां सम्भव नही। हर एक संस्थान के हर एक श्रेणी की अलग अलग समस्यायें हैं। उनके अलावा सब कर्मचारियों की सर्वसाधारण

समस्यायें भी हैं। उदाहरण के रूप में यहां उल्लेख करना आवश्यक है—

क्या यह कहा जा सकता है कि Pay Commission की सभी सिफारिशों को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया है ? आज दी जा रही वेतन श्रेणियों के पीछे कौन सा शास्त्रीय आधार है ? क्या विभिन्न भत्तों (Allowances) के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। House Rent Allowance तथा City compensatory Allowance के बारे में न्याय प्राप्त हो—इस हेतु सभी शहरों का पुनर्वर्गीकरण आवश्यक है या नहीं ? क्या यह कहा जा सकता है कि सभी विभागों के लिए (Overtime Allowance) की सामान्य तथा निष्पक्ष व्यवस्था आज विद्यमान है ? क्या सभी कर्मचारियों के लिए काम के घंटे ठीक ढंग से निश्चित हुए हैं ? और क्या सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साप्ताहिक तथा नियमित अवकाश प्राप्त होता है ? क्या यह सत्य नहीं है कि छुट्टियों के बारे में कोई सामान्य नीति नहीं, और विभिन्न विभागों तथा श्रेणियों के कर्मचारियों में इस विषय में विषमता तथा पक्षपात किया जा रहा है ? प्रमोशन के भी क्या कोई सामान्य तथा शास्त्रीय नीति है ? क्या यह सत्य नहीं है कि कई श्रेणियों के लिये प्रमोशन के द्वार बिल्कुल बन्द हैं और पक्षपात के कारण अन्ट्रेन्ड लोगों को ट्रेन्ड के वनिस्पत प्राथमिकता दी जाती है ? कितनी श्रेणियों का वेतन क्रम अवरुद्ध होता है ? पदावनति के बारे में भी क्या कोई सामान्य नीति निर्धारित है ? क्या यह आवश्यक नहीं कि यह नीति तय हो तथा उसके प्रकाश में विद्यमान पदावनतियों पर विचार किया जाय ? नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिये आवश्यक सभी (Tests) के बारे में सर्वंकष विचार करने के लिये क्या किसी समिति की नियुक्ति उपयुक्त नहीं ? यह अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया गया कि किसी भी उच्चपद के लिये तब तक Direct recruitment नहीं की जायगी जब तक कि उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नीचे की श्रेणी में उपलब्ध हैं ? Probation की अवधि घटाने में क्या आपत्ति है ? योग्य व्यक्ति उपलब्ध होते हुए भी पदों को रिक्त

रखने की पद्धति बन्द क्यों नहीं की जाती ? बड़े पैमाने पर छटनी लाने वाली सभी योजनाओं को तुरन्त स्थगित क्यों नहीं किया जाता ? और इस सिद्धान्त को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता कि किसी भी कर्मचारी को उसके काम से तब तक न हटाया जाय जब तक कि उसे उसी ग्रेड में दूसरी वैकल्पिक नौकरी नहीं दी जाती ? ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता तथा अन्य कर्मचारियों के (Victimisation) के मामलों को देखने के लिए कौन सी मशीनरी आज विद्यमान है ? २५ वर्ष की सेवा अथवा ५५ वर्ष की आयु पर रिटायर करने अथवा न करने का अधिकार अफसरों को देने से पक्षपात बढ़ेगा—यह बात आँखों से ओझल क्यों की जा रही है ? इस तरह पक्षपात का अधिकार अफसरों को देने से ही कर्मचारियों को वर्षों तक टेंपरेरी के नाते रखने की प्रवृत्ति बढ़ गई और किसी की भी सेवा की सुरक्षा आज निश्चित नहीं—यह बात भूलने की चेष्टा क्यों हो रही है ? अभी भी ठीकेदारी पद्धति से काम क्यों लिया जाता है ? और जहां ठीका प्रथा हो वहां कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा वेतन श्रेणियों के लिये स्वयं जिम्मेदारी वह क्यों नहीं लेती ? जिन विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों पर मिलीटरी के नियम लागू किये जाते हैं—उनको मिलीटरी कर्मचारियों की सुविधायें क्यों नहीं दी जाती ? आवश्यक जांच करते हुए उपयुक्त विभागों की शाखाओं तथा निदेशालयों में Civilianisation क्यों नहीं किया जाता तथा ३३% सैनिकीकरण की नीति को वापस क्यों नहीं लिया जाता ? प्रतिरक्षा विभाग से सम्बन्धित कौन से आनुषंगिक संस्थानों के कर्मचारियों को नियमित विभागीय कर्मचारी माना जाय—इस पर अब तक कभी सोच विचार भी हुआ है ? जिन कारखानों के काम का स्वरूप कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है—उनके कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कौन-कौन सी सुविधायें सरकार ने दी हैं ? क्या यह सत्य नहीं कि किसी भी विभाग या संस्थान में काम के बोझ का निर्धारण शास्त्रीय अधार पर नहीं किया गया है ? और जो ही निर्धारण पहले से है उससे अधिक बोझ कर्मचारियों पर डाला जा रहा है ? क्या यह कहा जा सकता है

कि समान स्तर के कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की वेतन श्रेणियां आज समान हैं? महंगाई के आकड़ों के अनुसार Pricerate में तथा पेंशनों की दरों में बृद्धि क्यों नही की जाती ? क्या आज भविष्य निधि (Provident Fund) के व्याज दर का पुनर्निर्धारण न्याय नहीं है ? Medical Reimbursement तथा Childrens' Education Allowance के बारे में आज की व्यवस्था क्या सन्तोषजनक है ? कर्मचारियों की Contingency सेवा को अवकाश प्राप्ति के समय नियमित सेवा में क्यों नहीं जोड़ा जाता ? क्या स्थानान्तरण के समय शिक्षा का माध्यम तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष में एक बार सबको रेलवे फ्री पास क्यों नहीं दिया जाता ? क्या कोई सर्वकष श्रम कल्याण योजना का विकास तथा क्रियान्वयन किया जा रहा है, जबकि कर्मचारियों की आवास व्यवस्था जैसे प्रश्न को भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ?

दोनों फेडरेशनों में क्षमता का अभाव

ये सारे प्रश्न केवल उदाहरण के लिये प्रस्तुत किए गये हैं। वर्षों से ये प्रश्न चलते आ रहे हैं। दोनों फेडरेशन भी वर्षों से काम कर रही है किन्तु समस्यायें अब तक सुलझी नहीं। स्पष्ट है कि प्रश्नों का हल निकालने की क्षमता या तीव्र इच्छा का दोनों में अभाव है। विभिन्न श्रेणियों तथा संस्थानों की अपनी निजी विशेष समस्यओं को इन सर्व-साधारण प्रश्नों के साथ जोड़ दिया तो तय्यार होने वाला विवरण दोनों फेडरेशनों पर एक तरह से अविश्वास का प्रस्ताव ही सिद्ध होगा। इस उदासीनता की कोई सीमा नहीं, यहां तक कि इनके ही आदेश के अनुसार जुलाई, १९६० में हड़ताल पर गये हुए जिन कर्मचारियों को निकाला गया और अब तक जिन्हें काम पर वापस नहीं किया गया

उनके लिए भी किसी प्रकार का संघर्ष करने की इनकी तैयारी नहीं है।

हमारा प्रमुख सवाल है कि इन समस्याओं की सुलझन के लिए दोनों फेडरेशनों ने अब तक कौन से सक्रिय तथा प्रभावी कदम उठाये ? हम परिणाम या फल के बारे में नहीं पूंछ रहे हैं ? हम पूछ रहे हैं– दोनों की अब तक की कार्यवाही। कहा जाता है कि एक बार किसी सुलतान के काफिले लूट लिए गए और उनका प्रमुख संरक्षक इस समाचार को देने के लिये सुलतान के पास पहुंचा। प्रारंभ में ही उसने रोना धोना तथा बहाने बाजी शुरू की कि दुश्मन की तय्यारियां बहुत अधिक थीं। उस समय सुलतान ने कहा––

"ये न पूछा कि कैसे काफिले लूटे गये।
हमें रहजनी कि फिकर नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है"

देश के प्रतिरक्षा कर्मचारी भी इस अधिवेशन के द्वारा दोनों फेडरेशनों से यही सवाल आज पूंछ रहे हैं।

शक्ति से ही कार्यसिद्धि होगी

संयुक्त सलाहकार समिति (Joint Consultative Machinery) के उद्घाटन के पश्चात हमारे कुछ बन्धुओं ने हमें बताया कि अब वे **J. C. M.** में बैठते हैं और उसके द्वारा श्रमिकों की मांगें हासिल करेंगे। इसका मतलब तो यह निकलता है कि **J. C. M.** यानी ट्रेड यूनियन शक्ति का एक विकल्प। यह विचार गलत है। हमारी संगठन की शक्ति विद्यमान नहीं होगी तो **J. C. M.** के द्वारा भी हमें कुछ नही मिलेगा। वह नित्यसिद्धि होगी तो बगैर **J. C. M.** के भी हम हासिल कर सकेंगे। **J.C. M. or No J. C M.**–शक्ति होगी तभी

कार्य सिद्धि होगी। अतः इस भ्रांति से कर्मचारियों को मुक्त होना चाहिए।

इस सब परिस्थितियों की पृष्ठभूमि पर आप बन्धुओं ने निर्णय लिया है कि प्रतिरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों की सही (**Genuing**) ट्रेड यूनियनिज्म के आधार पर चलने वाली फेडरेशन का निर्माण हो।

हमारा संकल्प

हमारा संकल्प है कि यह फेडरेशन प्रतिरक्षा कर्मचारियों की, प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा संचालित रहेगी। यह श्रम क्षेत्र के अतिरिक्त वाह्य तत्वों से पूर्णरूपेण स्वतन्त्र रहेगी—व्यक्तिगत नेतागीरी से स्वतन्त्र, राजनैतिक दलों से स्वतन्त्र, सरकार से स्वतन्त्र, व्यवस्थापकों से स्वतन्त्र तथा वाद विशेषों से स्वतन्त्र। राष्ट्रवादी होने के कारण यह फेडरेशन कर्तव्य और अधिकार दोनों पर समान आग्रह रखेगा। राष्ट्रहित के अन्तर्गत श्रमिक हित—इसका सिद्धान्त रहेगा। इसके सभी सदस्य राष्ट्र के प्रति आत्मसमर्पित होंगे किन्तु नौकरशाही के प्रति नहीं। नौकरशाही के प्रति उनकी नीति रहेगी—प्रतियोगी सहकारिता (**Responsive cooperation**) की। यही नीति अन्य फेडरेशनों के साथ भी रहेगी।

इस फेडरेशन के द्वारा आप एक महान ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। आपके द्वारा राष्ट्र तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों की

अति प्रशंसनीय सेवा हो रही है। आपके इस राष्ट्रीय अभियान में मैं आपके सुयश की कामना करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह इस फेडरेशन के माध्यम से अपनी योजना का क्रियान्वयन करे।

॥ जय भारत ॥

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महामंत्री
श्री रामप्रकाश मिश्र
द्वारा प्रस्तुत वृत्त

आदरणीय अध्यक्ष जी, मा० ठेंगड़ी जी तथा प्रतिनिधि बन्धुओं,

आज यह बड़े हर्ष का विषय है कि प्रतिरक्षा कर्मचारियों के एक राष्ट्रवादी महासंघ "भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ" का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन सम्पन्न करने के लिये हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं। इस महासंघ की स्थापना विगत दिनों भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर १३ अगस्त, १९६७ को दिल्ली में हुई।

वर्तमान काल में समूचे देशमें २॥ लाख कर्मचारी प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में सेवारत हैं जिनके बीच छोटे बड़े १७५ श्रमिक संगठन कार्य कर रहे हैं, जिसमें 'भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ' से सम्बन्धित १५ हजार सदस्य संख्या की कुल २३ मजदूर यूनियनें हैं। यद्यपि इस नूतन महासंघ से सम्बन्धित यूनियनों की संख्या अभी अल्प है फिर भी एक डेढ़ वर्ष की अवधि में यह प्रगति पर्याप्त सन्तोषजनक और उत्साह वर्धक है।

इस महासंघ के पूर्व से ही कांग्रेस द्वारा संचालित 'इण्डियन नेशनल डिफेन्स वर्कर्स फेडरेशन' तथा कम्युनिस्ट प्रभावित 'आल इण्डिया डिफेन्स इम्प्लाइज फेडरेशन' चल रहे हैं। ये दोनों ही मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने मान्यता न प्राप्त होंने के बावजूद भी समय समय पर कर्मचारियों की मांगों के प्रति अपनी सजगता, मतर्कता तथा संघर्ष क्षमता का परिचय दिया है तथा माँगे पूर्ण कराईं व समस्यायें सुलझाई हैं।

हमारी उपलब्धियां

कानपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आवास समस्या को लेकर कर्मचारियों ने सुरक्षा श्रमिक संघ के नेतृत्व में जन जागरण के लिये तथा सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिये जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया तथा समस्याओं के सम्बन्ध में स्मृति पत्र दिया, जिसके फलस्वरूप लेबर कालोनियों में आज भी २९२७ कर्मचारी रह सकने में समर्थ हो सके हैं। इतना ही नहीं जब तक कि केन्द्रिय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच इन कर्मचारियों के लिये कुछ निश्चित योजना तय नहीं हो जाती, इन कर्मचारियों के लिये विशेष कालोनी की भी व्यवस्था की गई है।

भारतीय संरक्षण कामगार संघ, पूना ने पिछले दिनों एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर कर्मचारियों की समस्याओं की ओर रेलवे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप पूना की लोकल ट्रेनें निश्चित समय पर तथा नियमित रूप में चलने लगीं इससे प्रतिरक्षा कर्मचारियों को ही नहीं अपितु अन्य लोगों को भी राहत मिली।

अभी अभी ८ अप्रैल, ६८ को आर्डीनेन्स फैक्टरी मजदूर संघ, शाहजहांपुर के उन ३६ कर्मचारियों को जिन्हें रिवर्ट किया था भारतीय मजदूर संघ के महामन्त्री व संसद सदस्य मा० दत्तोपन्त ठेंगड़ी के सहयोग से प्रमोशन दिलाया है और आगे जब से इन कर्मचारियों को रिवर्ट किया गया उसका भी पैसा दिलाने के लिये यह यूनियन प्रयत्नशील है। कर्मचारियों को तीन दिन का अवकाश बिना मेडिकल सर्टीफिकेट दिये मिल सके - इसके लिये भी हमारी यूनियनों ने प्रयास किया। आज जो कर्मचारियों को ३ दिन का अवकास बिना सर्टीफिकेट दिये—पाने की सुविधा मिली है, उसमें हमारे संगठन का बहुत बड़ा हाथ है।

भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से सम्बन्धित यूनियनों ने "असली वेतन मांग सप्ताह" मनाकर भारत के समस्त उद्योगों में होने वाली विशाल पैमाने पर छटनी के विरोध में "छटनी विरोधी सप्ताह" मनाकर श्रमिकों की इन समस्याओं के लिए जन जागरण किया है। देश के विभिन्न संस्थानों पर जहां जहां हमारे इस महासंघ से सम्बन्धित यूनियनें हैं विशाल पैमाने पर बड़े धूमधाम से विश्वकर्मा जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया।

आगामी योजनायें

हमारे कार्य का प्रवेश उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ, मुरादनगर, देहरादून तथा अन्य प्रान्तों में दिल्ली, पंजाब स्थित अमृतसर तथा पठानकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर और कटनी, महाराष्ट्र में चांदा, पूना, भण्डारा, कामटी तथा बम्बई और बंगाल में बैरकपुर आदि स्थानों पर हो चुका है। आगामी वर्ष में ५० यूनियनें तथा सदस्य संख्या की दृष्टि से ३० हजार से भी ऊपर करने की योजना है।

—*—

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्ष श्री मोहनराव गवंडी का

भाषण

भाइयो !

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर भारत के कोने कोने से आये हुए आप सभी प्रतिनिधि बन्धुओं का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

पिछले दिनों १३ अगस्त १९६७ को दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का गठन हुआ जो राष्ट्र भावना से प्रेरित प्रतिरक्षा कर्मचारियों का एक महासंघ है।

हमें यूनियन बनाते देखकर लोगों ने कहा कि जहां यूनियनें पहले से हैं वहां और यूनियन बनाने की आवश्यकता क्या है ? हमने कहा आज सारी यूनियनें केवल मांग कैसे प्राप्त करना चाहिए यही बतलाती हैं किन्तु कर्मचारियों का क्या कर्तव्य है तथा देश के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है यह बात हमें किसी ने नहीं बताया और इसीलिए यह विचार आया कि हम इस संगठन के माध्यम से कर्मचारियों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है इसका ज्ञान करावें।

देश की सेवा पर ही देश का भविष्य निर्भर है और सेना देश का एक अंग है। हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को सबल बनाने के लिए काम करने की ठानी है। हम सबके कठोर परिश्रम और माननीय श्री दत्तोपन्त जी के मार्गदर्शन का ही यह परिणाम है कि अल्पावधि में ही हमने खूब अच्छी तरह से अपने पांव जमा लिए हैं।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर अध्यक्ष श्री मोहनराव गवंडी का

भाषण

भाइयो !

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर भारत के कोने कोने से आये हुए आप सभी प्रतिनिधि बन्धुओं का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

पिछले दिनों १३ अगस्त १९६७ को दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का गठन हुआ जो राष्ट्र भावना से प्रेरित प्रतिरक्षा कर्मचारियों का एक महासंघ है।

हमें यूनियन बनाते देखकर लोगों ने कहा कि जहां यूनियनें पहले से हैं वहां और यूनियन बनाने की आवश्यकता क्या है ? हमने कहा आज सारी यूनियनें केवल मांग कैसे प्राप्त करना चाहिए यही बतलाती हैं किन्तु कर्मचारियों का क्या कर्तव्य है तथा देश के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है यह बात हमें किसी ने नहीं बताया और इसीलिए यह विचार आया कि हम इस संगठन के माध्यम से कर्मचारियों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है इसका ज्ञान करावें।

देश की सेवा पर ही देश का भविष्य निर्भर है और सेना देश का एक अंग है। हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को सबल बनाने के लिए काम करने की ठानी है। हम सबके कठोर परिश्रम और माननीय श्री दत्तोपन्त जी के मार्गदर्शन का ही यह परिणाम है कि अल्पावधि में ही हमने खूब अच्छी तरह से अपने पांव जमा लिए हैं।

एक सिपाही को युद्ध भूमि पर भेजने के लिए १७ नागरिक कर्मचारियों को काम पर जुटना पड़ता है। हमारा जवान जब देश रक्षा-हित शत्रुओं से मुकाबला करता है तो कर्मचारी कोई सप्लाई में, कोई रास्ते बनाने वाली प्लाटून में कोई गोला बनाने के कारखाने में तथा कोई आर्डिनेंस में, ऐसी अनेक जगहों पर अपना २ काम करता है। इनमें से किसी ने भी अगर जरा सी ढील की तो देश को भारी क्षति होती है। पिछले २ युद्धी में हमें इसका पाठ मिल चुका है।

आज जो श्रमिक संगठन इस क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनको न तो कर्मचारियों के हितों का ध्यान है और न देश का। बल्कि अपने से सम्बन्धित राजनैतिक दलों के स्वार्थ हेतु इस क्षेत्र में जुटे हुए हैं। उनके सम्मुख वास्तव में यदि देखा जाय तो कर्मचारियों के हितों की अपेक्षा अपने से सम्बन्धित राजनैतिक दलों की स्वार्थ सिद्धि का अधिक ध्यान रहता है। अभी पिछले दिनों क्लर्कों के एक मामले को लेकर माननीय श्री दत्तोपन्त जी ने राज्य सभा में प्रश्न उठाया था जिसके फलस्वरूप सरकार ने ४०० क्लर्कों की बढ़ोत्तरी की किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी इसके पहले अन्य संगठन चुप रहे। जबकि उनको इन क्लर्कों के विषय में कुछ न कुछ पहल करना ही चाहिए था।

हमारे ही प्रयास से योग्य व्यक्तियों को पदोन्नति किए जाने तथा ऐसे कर्मचारी जो सरकार के द्वारा रिवर्ट कर दिये गये थे उनको पुन: वही स्थान दिये जाने का कार्य हुआ। स्टोर मैन की जिम्मेवारी का ध्यान रखते हुए १६ दिसम्बर १९६५ को सरकार ने इन्हें भी तरक्की देने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं तृतीय श्रेणी के सी. यस. के कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ा दी गई। आज बहुत से कर्मचारी उदाहरणार्थ–पैकर, मजदूर आदि जिन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही है उनके पदोन्नति के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं।

हमने अभी तक कुछ किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष

है। हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी क्योंकि कर्मचारियों की मांगों को लेकर लड़ने के साथ साथ उनसे भी लड़ना होगा जो कर्मचारियों में केवल नेतागीरी बनाये रखने के लिए वर्षों से कर्मचारियों का शोषण करते हुए जमे पड़े हैं। यह तय है कि हम यदि संगठना को मजबूत करते हैं तो हम अपनी न्यायोचित मांगों को मनवाने में उतना ही सफल होंगे जितना कि :—

खुद ही को कर बुलन्द इतना, कि हर फतवे से पहले।
खुदा बन्दे से यह पूछे, बता तेरी रजा क्या है॥

देश में आन्दोलन के अनेक तरीके इस समय अपनाये गये हैं जिसमें 'घिराव' की बड़ी चचा है किन्तु हमें 'राजनैतिक घिराव' की उपेक्षा कर 'औद्योगिक घिराव' पर ही जोर देना चाहिए। साथ ही साथ हमें उन सभी चीजों से अपने को दूर रखना होगा जिनसे राष्ट्रीय क्षति होती हो। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर सघ के सदस्य होने के नाते हमें कर्मचारियों को एक नई दिशा देनी होगी। तोड़ फोड़ करने, बसें फूकने आदि कार्यों से मांगे पूरी नहीं होंगी-का भाव उनमें जगाना होगा।

अन्त में मैं आप सभी बन्धुओं का एक बार पुन: स्वागत करता हूं तथा अपेक्षा रखता हूं कि आप इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए कोर कसर नहीं रखेंगे।

है । हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी क्योंकि कर्मचारियों की मांगों को लेकर लड़ने के साथ साथ उनसे भी लड़ना होगा जो कर्मचारियों में केवल नेतागीरी बनाये रखने के लिए वर्षों से कर्मचारियों का शोषण करते हुए जमे पड़े हैं । यह तय है कि हम यदि संगठना को मजबूत करते हैं तो हम अपनी न्यायोचित मांगों को मनवाने में उतना ही सफल होंगे जितना कि :—

खुद ही को कर बुलन्द इतना, कि हर फतवे से पहले ।
खुदा बन्दे से यह पूछे, बता तेरी रजा क्या है ।।

देश में आन्दोलन के अनेक तरीके इस समय अपनाये गये हैं जिसमें 'घिराव' की बड़ी चचा है किन्तु हमें 'राजनैतिक घिराव' की उपेक्षा कर 'औद्योगिक घिराव' पर ही जोर देना चाहिए । साथ ही साथ हमें उन सभी चीजों से अपने को दूर रखना होगा जिनसे राष्ट्रीय क्षति होती हो । भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर सघ के सदस्य होने के नाते हमें कर्मचारियों को एक नई दिशा देनी होगी । तोड़ फोड़ करने, बसें फूकने आदि कार्यों से मांगे पूरी नहीं होंगी-का भाव उनमें जगाना होगा ।

अन्त में मैं आप सभी बन्धुओं का एक बार पुनः स्वागत करता हूं तथा अपेक्षा रखता हूं कि आप इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए कोर कसर नहीं रखेंगे ।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अवसर पर पारित

प्रस्ताव

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का यह प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए द्वितीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आज तक लागू न किये जाने तथा गजेन्द्र गडकर आयोग द्वारा भी मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में शतप्रतिशत विलीनीकरण का कोई मार्ग न सुझाने के कारण प्रतिरक्षा कर्मचारियों में व्याप्त सर्वदेशीय असन्तोष के प्रति अपनी गम्भीर चिंता प्रकट करता है। अधिवेशन के मत से दिनों दिन बढ़ती हुई मंहगाई के कारण प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर आर्थिक दबाब उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। और शीघ्र ही तृतीय वेतन आयोग को बनाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः यह अधिवेशन सरकार से मांग करता है कि केन्द्रीय कर्मचारियों--विशेषतः प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन आयोग तुरन्त बैठाया जाय और द्वितीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्देशांक की प्रति १० प्वाइन्ट बढ़ोत्तरी पर ५) की मंहगाई बृद्धि अंतरिम सहायता के रूप में तत्काल दी जाय।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का यह प्रतिनिधि सम्मेलन प्रतिरक्षा संस्थानों में लगी प्राणघातक मशीनों की घोर निन्दा करता है तथा सरकार से मांग करता है कि ऐसी मशीनों का अविलम्ब नवीनीकरण करके इन पर काम करने वाले बीमार कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु सवैतनिक अवकाश दिया जाय।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन प्रतिरक्षा विभाग में चल रही वर्तमान ठीकेदारी प्रथा अर्थात बाहर से काम कराने वाली प्रवृत्ति के प्रति घोर असन्तोष प्रगट करता है। सम्मेलन का यह स्पष्ट मत है कि इससे उस वस्तु का अन्य लोगों को ज्ञान होने के कारण जहां राष्ट्र की सुरक्षा को धक्का लगता है वहीं आउट स्टेशन की स्पर्धा के कारण वस्तुओं के उत्पादन का स्तर गिरता है और इस कारण हमारे सैनिकों का भी मनोबल गिरता है। इतना ही नहीं बाहर की बनी हुई वस्तुयें भले ही वह क्यों न खराब बनी हों–को सरलता से पास होने के लिए भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। अतः यह सम्मेलन सरकार से यह मांग करता है कि बाहर से ठीके पर काम कराने की नीति का वह अविलम्ब परित्याग करे ताकि सुरक्षा विभाग में होने वाली विशाल पैमाने पर छटनी रुक सके और कर्मचारियों में भी अपनी सेवा सुरक्षा की भावना बलवती बन कर अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति जागृत हो।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह प्रतिनिधि सम्मेलन भारत सरकार द्वारा नौकरशाही को प्रोत्साहित करने वाले रवैये की घोर निन्दा करते हुए यह मांग करता है कि २५ वर्ष की नौकरी की अवधि तथा ५० वर्ष की आयु पूरी होने पर कर्मचारियों को अधिकारियों की रिपोर्ट पर सेवा से निवृत किए जाने की भावना का परित्याग किया जाय। इस सम्बन्ध में सम्मेलन का यह स्पष्ट मत है कि इससे स्वेच्छाचारी अफसरों को जहां एक ओर स्वेच्छाचारिता करने का अवसर मिलेगा वहीं इस बात का भी अंदेशा है कि इससे ट्रेडयूनियन के स्वस्थ विकास में बाधा उत्पन्न होगी।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन प्रतिरक्षा विभाग में उठने वाले दिन प्रतिदिन के विवादों पर बर्ती जाने वाली अनियमितताओं पर घोर क्षोभ प्रकट करता है और सरकार से इस बात की मांग करता है कि इस विभाग के कर्मचारियों के समस्त विवादों को निपटाने के लिए एक पृथक स्थायी न्यायाधिकरण की व्यवस्था की जाय।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन प्रतिरक्षा विभाग में चल रही वर्तमान ठीकेदारी प्रथा अर्थात बाहर से काम कराने वाली प्रवृत्ति के प्रति घोर असन्तोष प्रगट करता है। सम्मेलन का यह स्पष्ट मत है कि इससे उस वस्तु का अन्य लोगों को ज्ञान होने के कारण जहां राष्ट्र की सुरक्षा को धक्का लगता है वहीं आउट स्टेशन की स्पर्धा के कारण वस्तुओं के उत्पादन का स्तर गिरता है और इस कारण हमारे सैनिकों का भी मनोबल गिरता है। इतना ही नहीं बाहर की बनी हुई वस्तुयें भले ही वह क्यों न खराब बनी हों–को सरलता से पास होने के लिए भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। अतः यह सम्मेलन सरकार से यह मांग करता है कि बाहर से ठीके पर काम कराने की नीति का वह अविलम्ब परित्याग करे ताकि सुरक्षा विभाग में होने वाली विशाल पैमाने पर छटनी रुक सके और कर्मचारियों में भी अपनी सेवा सुरक्षा की भावना बलवती बन कर अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति जागृत हो।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह प्रतिनिधि सम्मेलन भारत सरकार द्वारा नौकरशाही को प्रोत्साहित करने वाले रवैये की घोर निन्दा करते हुए यह मांग करता है कि २५ वर्ष की नौकरी की अविध तथा ५० वर्ष की आयु पूरी होने पर कर्मचारियों को अधिकारियों की रिपोर्ट पर सेवा से निवृत किए जाने की भावना का परित्याग किया जाय। इस सम्बन्ध में सम्मेलन का यह स्पष्ट मत है कि इससे स्वेच्छाचारी अफसरों को जहां एक ओर स्वेच्छाचारिता करने का अवसर मिलेगा वहीं इस बात का भी अंदेशा है कि इससे ट्रेडयूनियन के स्वस्थ विकास में वाधा उत्पन्न होगी।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन प्रतिरक्षा विभाग में उठने वाले दिन प्रतिदिन के विवादों पर बर्ती जाने वाली अनियमितताओं पर घोर क्षोभ प्रकट करता है और सरकार से इस बात की मांग करता है कि इस विभाग के कर्मचारियों के समस्त विवादों को निपटाने के लिए एक पृथक स्थायी न्यायाधिकरण की व्यवस्था की जाय।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का यह प्रतिनिधि सम्मेलन प्रतिरक्षा विभाग के अन्दर कार्यरत औद्योगिक और अनौद्योगिक कर्मचारियों की सेवाओं में बर्ते गए भेद भाव की घोर निन्दा करते हुए सभी प्रकार के भेद भाव को समाप्त कर कर्मचारियों को समान सुविधायें दिये जाने की सरकार से मांग करता है ।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का यह प्रतिनिधि सम्मेलन प्रतिरक्षा विभाग में ३३% सैनिकीकरण किये जाने की निन्दा करता है तथा सरकार से उसे समाप्त करने की माँग करता है । साथ ही सरकार से सम्मेलन का यह आग्रह है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में जहां अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर प्रतिरक्षा विभाग का विकास होना माना जा रहा है वहीं सरकार अपनी उस नीति में अविलम्ब सुधार करके अधिकारियों के साथ २ कर्मचारियों की भी संख्या अनुपातिक दृष्टि से बढ़ाए । इस सम्बन्ध में सम्मेलन का यह मत है कि उससे जहां देश को बेरोजगारी की समस्या हल होगी वहीं देश सैनिक दृष्टि से भी पूर्णतः आत्मनिर्भर बन सकेगा ।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का यह प्रतिनिधि सम्मेलन प्रतिरक्षा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों की समुचित शिक्षा व्यवस्था न होने पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है तथा केन्द्रीय सरकार से उनके बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की व्यवस्था किये जाने की मांग करता है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की यह सभा प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में समय २ पर होने वाली नीलामी में सरकार द्वारा प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भाग लेने से वंचित रखने की नीति की तीव्र आलोचना करती है तथा केन्द्रीय सरकार से मांग करती है कि प्रतिरक्षा संस्थानों में होने वाली नीलामी में भाग लेने का अवसर इन कर्मचारियों को भी दिया जाय ।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का यह प्रथम अखिल भारतीय

सम्मेलन अधिकारियों द्वारा पूर्ण प्रचार के अभाव तथा कर्मचारियों की ही भाषा में पेंशन तथा भविष्य निधि में से किसी एक को चुनने की बात सरकार द्वारा न रखे जाने पर दुःख प्रगट करता है तथा कर्मचारियों की अनभिज्ञता के कारण इन दोनों चीजों में से किसी एक का सही ढंग से चुनाव न किये जाने पर चिंतित है तथा सरकार से यह मांग करता है कि पेंशन तथा भविष्य निधि में से किसी एक का चुनाव करने का अवसर कर्मचारियों को पुनः दिया जाय ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में विशाल पैमाने पर होने वाली छटनी तथा सन् ६० में निकाले गये कर्मचारियों को अभी भी काम पर वापस न लिये जाने के सरकार के दुराग्रह पर घोर चिन्ता प्रकट करता है तथा सरकार से यह मांग करता है कि वह सन् साठ के निकाले गये कर्मचारियों को पुनः काम पर वापस ले और सर्वसम्मत से यह नियम भी स्वीकार करे कि जब तक समान वेतन, समान पद तथा समान सुविधा का कोई अन्य विकल्प किसी कर्मचारी को प्रदान न किया जाय तब तक उसकी छटनी न की जाय । साथ ही साथ सरकार से यह भी मांग करता है कि डी० डी० ओ० एफ. एवं अन्य डाइरेक्टरेट में कर्मचारियों की समस्त अपीलें अविलम्ब निपटाई जांय ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन चन्द्रपुर स्थित आयुध निर्माणी फैक्ट्री से सम्बन्धित भारतीय सुरक्षा कर्मचारी संघ के ५ पदाधिकारियों के निलम्बन का तीव्र विरोध करते हुए सरकार से इन पाचों निलम्बित कर्मचारियों को अविलम्ब काम पर वापस लिये जाने की मांग करता है ।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का यह प्रतिनिधि सम्मेलन प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में श्रम कल्याण अधिकारी का कार्य क्षेत्र, संस्थान के कमान्डिंग आफीसर से पूर्णतः विमुक्त करने का सरकार से आग्रह करता है ।

सम्मेलन अधिकारियों द्वारा पूर्ण प्रचार के अभाव तथा कर्मचारियों की ही भाषा में पेंशन तथा भविष्य निधि में से किसी एक को चुनने की बात सरकार द्वारा न रखे जाने पर दुःख प्रगट करता है तथा कर्मचारियों की अनभिज्ञता के कारण इन दोनों चीजों में से किसी एक का सही ढंग से चुनाव न किये जाने पर चिंतित है तथा सरकार से यह मांग करता है कि पेंशन तथा भविष्य निधि में से किसी एक का चुनाव करने का अवसर कर्मचारियों को पुनः दिया जाय ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में विशाल पैमाने पर होने वाली छटनी तथा सन् ६० में निकाले गये कर्मचारियों को अभी भी काम पर वापस न लिये जाने के सरकार के दुराग्रह पर घोर चिन्ता प्रकट करता है तथा सरकार से यह मांग करता है कि वह सन् साठ के निकाले गये कर्मचारियों को पुनः काम पर वापस ले और सर्वसम्मत से यह नियम भी स्वीकार करे कि जब तक समान वेतन, समान पद तथा समान सुविधा का कोई अन्य विकल्प किसी कर्मचारी को प्रदान न किया जाय तब तक उसकी छटनी न की जाय । साथ ही साथ सरकार से यह भी मांग करता है कि डी० डी० ओ० एफ. एवं अन्य डाइरेक्टरेट में कर्मचारियों की समस्त अपीलें अविलम्ब निपटाई जाँय ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन चन्द्रपुर स्थित आयुध निर्माणी फैक्ट्री से सम्बन्धित भारतीय सुरक्षा कमचारी सघ के ५ पदाधिकारियों के निलम्बन का तीव्र विरोध करते हुए सरकार से इन पाचों निलम्बित कर्मचारियों को अविलम्ब काम पर वापस लिये जाने की मांग करता है ।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का यह प्रतिनिधि सम्मेलन प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में श्रम कल्याण अधिकारी का कार्य क्षेत्र, संस्थान के कमान्डिग आफीसर से पूर्णतः विमुक्त करने का सरकार से आग्रह करता है ।

सम्मेलन का यह स्पष्ट मत है कि यदि श्रम अधिकारी को पदोन्नति तथा सेवा सम्बन्धों में कमान्डिग आफीसर के वार्षिक गोपनीय अभिमत (An mial Confidencial Report) से स्वतन्त्र रखा गया तो वह फैक्ट्री प्रशासक द्वारा कर्मचारियों पर बरती गई अनियमितताओं तथा कर्मचारियों के अन्य कल्याणकारी योजनाओं को सरकार के सम्मुख अधिक प्रभावी एवं स्पष्ट ढंग से रख सकेगा ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन भारत सरकार के प्रतिरक्षा मन्त्रालय का ध्यान कर्मचारियों के लिये वर्ष में एक बार ३०० मील से अधिक दूरी का जिसमें ३०० मील की दूरी नहीं सामिल है–की अवैज्ञानिक पद्धति की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता है कि रेलवे तथा केन्द्र संचालित बैंकों के समान प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भी वर्ष में दो पारिवारिक पास प्रदान कर भारत में किसी भी स्थान पर जाने की सुविधा दी जाय ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षणोपरान्त मुक्त न करके उन्हें काम पर लगाये जाने की मांग करता है । तथा सम्मेलन का यह मत है कि यदि ऐसा किया गया तो इससे प्रशिक्षणार्थियों पर होने वाले अर्थ व्यय तथा समय का पूरा पूरा लाभ सरकार को हो सकेगा ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन फेरो प्रिन्टसं (Ferro Printers) कर्मचारी जिनके लिये मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है–को अन्य मैट्रिक परीक्षा की योग्यता वाले पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की भाँति समान वेतनक्रम व अन्य सुविधायें न दिए जाने पर क्षोभव्यक्त करता है तथा सरकार से मांग करता है कि 'फेरो प्रिन्टर्स कैटेगरी' के कर्मचारियों के लिए मैट्रिक योग्यता के पदों के समान सुविधा व वेतनक्रम तथा प्रमोशन चैनेल की रचना की जाय ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन ऐसे कर्मचारी जिनका वेतनमान उच्चतम पर पहुंच जाने पर कोई वेतन बढ़ोत्तरी अथवा तुरन्त तरक्की नही दी जाती है–पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकार से यह मांग करता है कि ऐसे समस्त कर्मचारियों को इस अवस्था में तुरंत पदोन्नति कर दिया जाना चाहिए अथवा पदोन्नति तक वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी चालू रखा जाना चाहिए ।

यह अधिवेशन भारत सरकार से मांग करता है कि ऐसे कर्मचारी जो मात्र टी० बी० या अन्य ऐसी ही बीमारियों के कारण प्रशासन द्वारा सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं, उनको पेन्शन ग्रेच्युटी के साथ साथ मेडिकल एलाउन्स अथवा फैक्ट्री के अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा तथा भोजन की समुचित व्यवस्था की जाय ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह अधिवेशन प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ के अन्तर्गत यल०डी०सी० और यू० डी० सी० कर्मचारियों की संख्या में समुचित अनुपात न होने पर क्षोभ प्रकट करते हुए रक्षा लेखा नियन्त्रक (Controller of defence account) कार्यालय की ही भांति अनुपात रखे जाने की मांग करता है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन तृतीय वेतन आयोग की मांग को बल प्रदान करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण देश में फैली अपने से सम्बद्ध यूनियनों के माध्यम से दीपावली के उपरान्त 'तृतीय वेतन आयोग मांग सप्ताह' मनाने का निर्णय किया है तथा अपनी मांगों के प्रति जन जागरण करने के लिए स्थान स्थान पर भित्ति–पत्र चिपकाने पत्रक बांटने तथा जुलूस निकालने व सभायें करने का भी निर्णय लिया है ।

—o—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन ऐसे कर्मचारी जिनका वेतनमान उच्चतम पर पहुंच जाने पर कोई वेतन बढ़ोत्तरी अथवा तुरन्त तरक्की नही दी जाती है—पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकार से यह मांग करता है कि ऐसे समस्त कर्मचारियों को इस अवस्था में तुरंत पदोन्नति कर दिया जाना चाहिए अथवा पदोन्नति तक वार्षिक वेतन बढ़ोत्तरी चालू रखा जाना चाहिए ।

यह अधिवेशन भारत सरकार से मांग करता है कि ऐसे कर्मचारी जो मात्र टी० बी० या अन्य ऐसी ही बीमारियों के कारण प्रशासन द्वारा सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं, उनको पेन्शन ग्रेच्युटी के साथ साथ मेडिकल एलाउन्स अथवा फैक्ट्री के अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा तथा भोजन की समुचित व्यवस्था की जाय ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह अधिवेशन प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ के अन्तर्गत यल०डी०सी० और यू० डी० सी० कर्मचारियों की संख्या में समुचित अनुपात न होने पर क्षोभ प्रकट करते हुए रक्षा लेखा नियन्त्रक (Controller of defence account) कार्यालय की ही भांति अनुपात रखे जाने की मांग करता है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों का यह सम्मेलन तृतीय वेतन आयोग की मांग को बल प्रदान करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण देश में फैली अपने से सम्बद्ध यूनियनों के माध्यम से दीपावली के उपरान्त 'तृतीय वेतन आयोग मांग सप्ताह' मनाने का निर्णय किया है तथा अपनी मांगों के प्रति जन जागरण करने के लिए स्थान स्थान पर भित्ति—पत्र चिपकाने पत्रक बांटने तथा जुलूस निकालने व सभायें करने का भी निर्णय लिया है ।

—o—

मा० ठेंगड़ी जी द्वारा प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन

कल सार्वजनिक सभा में कई बातें आई हैं। तीसरे महासंघ के बनाने की आवश्यकता पर जनता के सम्मुख बात रखी। जनता के सम्मुख जो कुछ भी कहा सो ठीक था। हम सब आपस में बात कर रहे हैं। कोई खराब है हम बिल्कुल सही हैं–यह कहना ठीक नहीं है। वह सतर्क नही हैं–अब हम सतर्क हैं यह भी उचित नही है। कभी वह भी सतर्क थे, उनकी भी सदस्य संख्या बढ़ रही थी उनके लोग Victimised हो रहे थे। हमें सोचना तथा विचारना होगा कि हमारे इस महासंघ के अतिरिक्त अन्य महासंघ भी हैं शिकायत लोगों को नेतृत्व से रहती है। वहां जो बुराइयां हैं उसी को यहां लाने का तात्पर्य यह है कि हमें तीसरे महासंघ के बनाने की आवश्यकता क्यों रही ? पुरानी यूनियनों के अनुभव को भुलाना होगा। हमें स्वस्थ ट्रेड यूनियन आन्दोलन चलाना है। जैसे वह चल रहे हैं वैसे हम भी चलें इससे लाभ क्या ? बाकी संस्थाओं तथा भारतीय मजदूर संघ की समस्याओं में बड़ा अन्तर है। हम जिन उद्देश्यों को लेकर आये हैं उनका स्मरण करें तथा अपनी परम्पराओं का स्मरण करें। हमारा किसी को नीचे लाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा लक्ष्य Positive है। हम राष्ट्र हितों में बाधक बस्तुओं को दूर राष्ट्र हित में कार्य करने आये हैं। बाकी संस्थायें हैं परन्तु भारतीय मजदूर संघ एक परिवार है। यह परिवार कार्य–कर्त्ताओं का है जो राष्ट्र तथा मजदूरों के लिये स्वयं अपने को समर्पित करने को तैयार हैं। संस्था में विधान का महत्व है। संस्था का आधार Constitution है किन्तु हमारा आधार Constitution नही है। हमारे परिवार में किसी प्रकार के सेवा नियम नहीं है। विधान रूप की कोई भी चीज परिवार के संचालन के रूप में नहीं है। हम सब एक हैं पारिवारिक भावना भारतीय मजदूर संघ की विशेषता है।

Constitution हमारे लिये है हम Constitution के लिये नहीं हैं। प्रतिष्ठा सेक्रेटरी तथा प्रेसीडेन्ट के नाम पर नहीं है। पदाधिकारी आदि की होड़ में परिवार समाप्त हो जाता है। हम एक दूसरे के निकटतम सम्पर्क में हैं। सम्पर्क के कारण सब में प्रेम है। पदाधिकार के लिये जो लड़ाई करेगा उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ नियम यह है कि जो पदाधिकारी बनना चाहता है हमें उन्हें पदाधिकारी बनना ही नहीं है। अगर बिना पदाधिकारी बनाये संस्था नहीं चलती है तो हम संस्था को तोड़ डालेंगे; जो कार्य कर्त्ता के नाते हैं और व्यक्तिगत ख्याति के लिये नहीं उनकी सदैव प्रतिष्ठा होगी। एक बार मु० साहब से झगड़ा निपटाने की एक बात कही गयी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि आप अपने में किसी को अमीर चुन लें समस्या हल हो जायेगी। लेकिन समस्या तभी हल होगी जब जो अमीर बनाना नहीं चाहता है उसी को अमीर बनायेंगे। भारतीय मजदूर सघ में भी हमने यह बात लाई है। जहाँ ध्येय श्रेष्ठ है—स्वार्थ नहीं, कार्यकर्त्ता की इज्जत है। जहाँ यह बात हो वही हम करने की तैयारी करें। जहां हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं—वहीं सबसे महत्व पूर्ण बात यह है कि Reactionary भावना को लेकर काम नहीं करना चाहिये। हमें विशाल उद्देश्य को सामने रख कर विचार करना चाहिये।

—o—

मा० ठेंगड़ी जी का समारोप भाषण

कल और आज मिल कर जो भी कार्यवाही करने की अपेक्षा थी वह पूरी हो गई है। जिस समय इस महासंघ के अधिवेशन की बात आई शंका हुई कि कितना सफल होगा। आज हम इस कार्य को देखें। प्रारम्भ काल का काम सूक्ष्म रूप से है। आरम्भ काम के नाते संतोष जनक है। आगे के विशाल भाव के लिये अल्प अवश्य है। गंगा का प्रारम्भ रूप पतला है—बच्चा लांघ सकता है; आगे चलकर विशाल हुआ है। वही अपने कार्य की भी स्थिति है। आगे जो कार्यक्रम सोचा है उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पारिवारिक भाव को लेकर चले हैं। हमसे एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट की आवश्यकता है—के सम्बन्ध में कहा गया। सुरक्षा के लिये, मार से बचने के लिये, मैं तो स्वयं आप को बचाना नहीं चाहता। यदि आप काम करते तो कोई न कोई ससपेन्शन या Criminal case चलता। "No body kicks a dead dog" —समान अपेक्षायें यह हैं कि मैं भारतीय मजदूर संघ का हूं। सदस्य की एकात्मता होनी चाहिये। सदस्य और कार्यकर्त्ता में अन्तर कहां है--दोनों ही जब सदस्य हैं। सदस्य दबी जबान से कहता है मैं भारतीय मजदूर संघ का हूं। कार्यकर्त्ता हमेशा यह कहा करता है कि मैं भारतीय मजदूर संघ के लिये हूं। हमारा कार्यकर्त्ता बरबाद हो—मजदूरों के हित के लिये यही हम चाहते हैं और यही हमारे घर की रीति है। पार्लियामेंट के सदस्य से ही काम होगा यह मलत धारणा हमें नहीं बनाना चाहिये। आपकी बरबादी की जिम्मेवारी मेरे पर है। हम आप को तीसरा ढूढ़ेंगे जब आप का काम आवेगा किन्तु अन्यान्य संस्थाओं के अन्दर जो बात चल रही है उसे हम न अपनायें। हम baby गाड़ी आपको नहीं देना चाहते हैं जिससे आपको सहारे के

लिये बाध्य होना पड़े। हम भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति के आधार पर चलने वाले हैं। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है।

मजदूरों को सही मार्ग का दर्शन कराना उनको संघर्षक्षम बनाना तथा दूसरी ओर उनको राष्ट्रक्षम बनाना हमारा धर्म है। हिन्दुस्थान गिर सकता है तो हममें कौन खड़ा रह सकता है जहाँ यह विचार आया वहीं श्रेष्ठता है। हम भारतीय मजदूर संघ का काम जल्दी बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। आज जो Crisis सामने खड़ा है। हमारे कुछ लोग तथा बाहर के कुछ लोग इस पर जरा सा भी विचार नहीं करते साँप का ग्रास बनने वाला मण्डूक भी इधर से उधर जाने वाली मख्खियों आदि को देखकर उनपर झपटने का प्रयास करता है और यह बात वह भूल जाता है कि वह स्वयं थोड़ी देर बाद काल का ग्रास बनने बाला है आज केन्द्रीय सरकार दुर्बल हो रही है; हमारी सीमा के बाहर आक्रमण का अन्देशा है. देश की विघटनकारी शक्तियाँ सक्रिय हैं, कम्युनिष्टों के अड्डे जगह जगह पर हैं। वैसे हम १० साल में उन्हें उखाड़ देंगे किन्तु अब इतना समय नहीं है। फिर भी यह प्रयास करना होगा कि जहाँ-जहां उनका अड्डा हो वहां हम पूरी ताकत के साथ खड़े हों। ऊपर से चीन का हमला अन्दर से कम्युनिष्टों द्वारा Sabotage करने का अन्देशा है। इसलिये जहां-जहां उनका अड्डा है हम तैयारी करें। हम Emergency Period समझ कर देश भक्त मजदूर के नाते पूरी ताकत से यूनियन के काम में जिसमें बोनस आदि की मांग को ही सीमित न रख कर सक्रिय हों। एटलस ने सारे आसमान को अपने कन्धों पर तौला हुआ था। प्रतिरक्षा कर्मचारी एटलस की भाँति देश को तोले हुये हैं। राष्ट्र के जीवित होने से हम जीवित हैं इसके मरते ही हम मर जायेंगे। अतः हम पूरी ताकत से काम करें यह अति आवश्यक हैं। अपनी पद्धति तथा उद्देश्य को लेकर जो हमारी पृष्ट भूमि है–प्रत्येक कार्यकर्त्ता चले आज इतना ही निर्णय करना है। जिस राष्ट्र का मैं हूं वह राष्ट्र मेरा है। उसे हम हर प्रकार से संजोकर रखेंगे–यह हमारा मुख्य कार्य है तथा यही अन्तिम प्रार्थना है।

—०—

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की वर्ष १९६८—६९ की
अखिल भारतीय कार्यसमिति

अध्यक्ष	श्री मोहनराव गवण्डी	१०२५, शुक्रवार पेठ तिलक मार्ग, पूना—२
उपाध्यक्ष	श्री ओमशंकर	२०९, पूरन तलैय्या, शाहजहांपुर
उपाध्यक्ष	श्री गुरुदयाल सिंह	बी०५६ फतेहनगर न्यू दिल्ली-१८
महामन्त्री	श्री रामप्रकाश मिश्र	२, नवीन मार्केट, कानपुर
मन्त्री	श्री गोविन्दराव अठवले	भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, शिवा जी मार्ग, नागपुर—२
,,	श्री श्रीकृष्ण गौड़	१३जे/११९ आर्डीनेन्स स्टेट मुरादनगर, जिला मेरठ
कोषाध्यक्ष	श्री रामेश्वर दयाल शर्मा	४७६२, बी कूचा साधूराम, आगरा
सदस्य	श्री अमरनाथ डोंगरा	५४६,मोहाल आनन्दपुर, पठानकोट
,,	श्री यशोदानन्द	१९६/१ विद्यानगर'यच' टाइप जी० सी० यफ स्टेट, जबलपुर
,,	श्री विक्रमाजीत सिंह	६३/७५ हरबंश मोहाल, कानपुर
,,	श्री जैत सिंह	१४७/६ हरिहर नाथ शास्त्रीनगर, कानपुर
,,	श्री रमाकान्त शुक्ल	४६०/फेथफुल गज, कानपुर
,,	श्री रमेशचन्द्र अवस्थी	६, नवीन मार्केट कैशरबाग लखनऊ
,,	श्री सुधाकर रघुनाथ अग्रेसर	४९० शुक्रवार पेठ दाना डे, जिला-पूना
,,	श्री ईशचन्द्र कक्कड़	४५ गुरुद्वारा रोड, देहरादून

केन्द्रीय कार्यालय—२ नवीन मार्केट, कानपुर

MEMORANDUM

Submitted by

Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh

(An All India Defence Workers Federation)

Before The National Commission on Labour

Under the Chairmanship of

The Hon'ble Shri P. B. Gagendragadakar

Respected Sir,

It is submitted that the Defence Workers, who are divided in various categories, have different problems before them. Some of these problems are stated here below :—

(1) The recommendations of the Second Pay Commission have not as yet been implemented.

(2) There is no scientific basis of the present wage structure and the wages paid presently are not based on the proper job-evaluation.

(3) The rate of D. A. paid to different categories of employees is faulty and therefore requires refixation.

(4) The Defence Workers are faced with the serious problem of housing accommodation. With a view to imparting justice to the workers in respect of House Rent Allowance and City Compensatory Allowance, re-classification of different cities is very necessary.

(5) There is no general and justified arrangement in respect of the payment of Overtime Allowance to the employees of different categories and departments.

MEMORANDUM

Submitted by

Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh

(An All India Defence Workers Federation)

Before The National Commission on Labour

Under the Chairmanship of

The Hon'ble Shri P. B. Gagendragadakar

Respected Sir,

It is submitted that the Defence Workers, who are divided in various categories, have different problems before them. Some of these problems are stated here below :—

(1) The recommendations of the Second Pay Commission have not as yet been implemented.

(2) There is no scientific basis of the present wage structure and the wages paid presently are not based on the proper job-evaluation.

(3) The rate of D. A. paid to different categories of employees is faulty and therefore requires refixation.

(4) The Defence Workers are faced with the serious problem of housing accommodation. With a view to imparting justice to the workers in respect of House Rent Allowance and City Compensatory Allowance, re-classification of different cities is very necessary.

(5) There is no general and justified arrangement in respect of the payment of Overtime Allowance to the employees of different categories and departments.

(6) The hours of work has not been properly fixed and therefore requires an immediate reform.

(7) Class IV employees should be given weekly as well as other gazetted holidays with full pay.

(8) There is not a prescribed principle for leave and holidays. There is disparity and partiality amongst the workers of different categories and departments.

(9) There is no common and scientific promotion-policy. So much so that many categories of workers have no channel of promotion at all. Due to naked favouritism, sometimes even the untrained and unskilled workers get preference over the trained and the skilled workers.

(10) In many Defence Establishments there are various categories whose pay scales have come to a stand still.

(11) Similarly, there is no prescribed policy of reversion (demotion) in whose light, the present reversions could be considered. A committee should be constituted to have all pervading considerations in respect of various tests required promotion or demotion, The Committee should have the representation of the workers as well.

(12) There should be no "direct recruitment' for higher posts till suitable candidates are available in the lower ranks.

(13) The present period of probation is pretty long. It should be minimised.

(14) On the availability of qualified hands. no vacancy should be kept unfilled.

(15) Large scale retrenchment is being resorted to in the defence department. It should therefore, be accepted as a principle that no employee should be retrenched unless he is provided with an alternative employment of the equal salary and equal amenities.

(16) There is a serious need of the establishment of a machinery to look into and resolve the cases of victimisation of the Trade Union Workers.

(17) The discretion of retiring an emloyee either on completion of 25 years' service or at the age of 50 years services, if vested with the officers, will give birth to free play of favouritism. It is therefore necessary to have definite policy in this regard.

(18) Contract system should be abolished forthwith. But in cases of emergent need of resorting to the above system, the government should take full responsiblity of the service conditions and payscales of such workers.

(19) The employees of the allied institutions of the Defence department are not treated as the defence employees. This anoamly should be improved upon.

(20) Employees working in unhygenic environments should be provided with proper medical etc. facilities for the upkeep of their health.

(21) The work load in various departments should be decided on scientific basis.

(22) There should be parity of emoluments and similar facilities for the jobs of the same natures.

(3) The rate of interest on the employees' Provident Fund is old and stale It should be revived to suit the present circumstances.

(24) The present facilities in respect of Medical re-imbursement and Children's Education Allowance are not satisfactory and require proper improvement.

(25) The contingency services of the employees should be included in the regular service at the time of retirement.

(16) There is a serious need of the establishment of a machinery to look into and resolve the cases of victimisation of the Trade Union Workers.

(17) The discretion of retiring an emloyee either on completion of 25 years' service or at the age of 50 years services, if vested with the officers, will give birth to free play of favouritism. It is therefore necessary to have definite policy in this regard.

(18) Contract system should be abolished forthwith. But in cases of emergent need of resorting to the above system, the government should take full responsiblity of the service conditions and payscales of such workers.

(19) The employees of the allied institutions of the Defence department are not treated as the defence employees. This anoamly should be improved upon.

(20) Employees working in unhygenic environments should be provided with proper medical etc. facilities for the upkeep of their health.

(21) The work load in various departments should be decided on scientific basis.

(22) There should be parity of emoluments and similar facilities for the jobs of the same natures.

(3) The rate of interest on the employees' Provident Fund is old and stale It should be revived to suit the present circumstances.

(24) The present facilities in respect of Medical re-imbursement and Children's Education Allowance are not satisfactory and require proper improvement.

(25) The contingency services of the employees should be included in the regular service at the time of retirement.

(26) Due considerations should be made in respect of the medium of education of employee's wards while effecting transfers of the employees from one part of the country to the other one to avoid difficulties of the employees in respect of the education of their children.

(27) As in various Government and Semi-Government department, granted leave fare concession once in a year.

(28) There should be proper arrangement for the development and implementation of the all pervading Labour Welfafe Schemes for all the employees of the defence department.

(29) With a view to imparting justice to the employees, proper arrangement should be made for the industrial adjudication.

——०——

हिन्दी रूपान्तर

मा० पी बी० गजेन्द्रगडकर अध्यक्ष–राष्ट्रीश्रम आयोग के सम्मुख

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

(अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारियों का महासंघ)

द्वारा

प्रस्तुत ज्ञापन

महोदय,

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की अनेक समस्यायें हैं। प्रतिरक्षा के जितने संस्थान है तथा जितनी कर्मचारियों की श्रेणियां हैं, उतनी ही अलग अलग समस्यायें भी हैं। जिनमें मुख्य मुख्य समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

१–प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग की अनुशंसाओं को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया।

२–कर्मचारियों को आज जो वेतन दिया जा रहा है इन वेतन श्रेणियों के निश्चय करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

३–कर्मचारियों को दिये गए महंगाई भत्ते को पुनः निर्धारित किये जाने की शख्त आवश्यकता है क्योंकि वितरण पद्धति पर्याप्त दोषपूर्ण है।

४–कर्मचारियों के लिये समुचित आवास व्यवस्था की अति आवश्यकता है तथा House Rent Allowances और City Compensatory allowances के बारे में न्याय प्राप्त हो सके–इस हेतु सभी शहरों का पुनर्वर्गीकरण होना चाहिए।

हिन्दी रूपान्तर

मा० पी बी० गजेन्द्रगडकर अध्यक्ष–राष्ट्रीश्रम आयोग के सम्मुख

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

(अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारियों का महासंघ)

द्वारा

प्रस्तुत ज्ञापन

महोदय,

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की अनेक समस्यायें हैं। प्रतिरक्षा के जितने संस्थान है तथा जितनी कर्मचारियों की श्रेणियां हैं, उतनी ही अलग अलग समस्यायें भी हैं। जिनमें मुख्य मुख्य समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

१–प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग की अनुशंसाओं को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया।

२–कर्मचारियों को आज जो वेतन दिया जा रहा है इन वेतन श्रेणियों के निश्चय करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

३–कर्मचारियों को दिये गए महंगाई भत्ते को पुन: निर्धारित किये जाने की शख्त आवश्यकता है क्योंकि वितरण पद्धति पर्याप्त दोषपूर्ण है।

४–कर्मचारियों के लिये समुचित आवास व्यवस्था की अति आवश्यकता है तथा House Rent Allowances और City Compensatory allowances के बारे में न्याय प्राप्त हो सके–इस हेतु सभी शहरों का पुनर्वर्गीकरण होना चाहिए।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के सभी विभागों के लिये Overtime allowances की सामान्य तथा निष्पक्ष व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है।

६–अभी तक कर्मचारियों के काम के घण्टे ठीक से निश्चित नहीं हुए हैं। उसे अविलम्ब ठीक किया जाना चाहिये।

७–चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को साप्ताहिक तथा नियमित अवकाश मिलना चाहिये।

८–अवकाश के सम्बन्ध में कोई सामान्य नीति नहीं अपनाई जाती है। विभिन्न विभागों तथा श्रेणियों के कर्मचारियों में इस विषय में विषमता तथा पक्षपात किया जाता है।

९–कर्मचारियों के प्रमोशन के सम्बन्ध में कोई शास्त्रीय तथा सामान्य नीति नहीं अपनाई जा रही है। यहां तक कि कई श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रमोशन के द्वार बिल्कुल ही बन्द है। पक्षपात के कारण अन्ट्रेण्ड लोगों को ट्रेण्ड की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है।

१०–आज प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में अनेक ऐसी श्रेणियाँ हैं जिनका वेतन क्रम अवरुद्ध हो गया है।

११–कर्मचारियों की पदावनति के बारे में कोई सामान्य नीति निर्धारित नहीं है। अतः एक सामान्य नीति निश्चित किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि उसके प्रकाश में विद्यमान पदावनतियों पर विचार किया जा सके तथा नियुक्ति व पदोन्नति के लिये आवश्यक सभी (Tests) के बारे में सर्वंकष विचार करने के लिये एक समिति गठित की जानी चाहिये। जिसमें कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व हो।

१२–किसी भी उच्च पद पर सीधी भरती तब तक नहीं की जानी चाहिये, जब तक कि उक्त पद के उपयुक्त व्यक्ति नीचे की श्रेणी में उपलब्ध हैं।

१३–कर्मचारियों की प्रोबेशन अवधि लम्बी है उसे कम की जाय।

१४–योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध होते हुए पदों को रिक्त न रखा जाय।

१५–आज कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। अस्तु यह सिद्धांत स्वीकार किया जाय किसी भी कर्मचारी को उसके काम से तब तक न हटाया जाय जब तक कि उसे उसी समान वेतन तथा सुविधा की दूसरी वैकल्पिक नौकरी न दे दी जाय।

१६–ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के Victimisation सम्बन्धी मामलों तथा अन्य विवादों को देखने के लिये एक मशीनरी की अत्यन्त आवश्यकता है।

१७–२५ वर्षों की सेवा तथा ५० वर्ष की आयु पर रिटायर करने अथवा न करने का अधिकार अफसरों को देने से पक्षपात बढ़ेगा अस्तु एक निश्चित नीति तय की जाय।

१८–ठीके की प्रथा समाप्त की जाय। साथ ही यदि कहीं ठीके पर काम लेना आवश्यक ही हो तो कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा वेतन श्रेणियों का उत्तरदायित्व सरकार को स्वयं लेना चाहिये।

१९–प्रतिरक्षा विभाग से सम्बन्धित अनुषांगिक संस्थानों के कर्मचारियों को नियमित विभागीय कर्मचारी नहीं माना जाता है और न ही इस पर सोच विचार ही किया गया हैं।

२०–जिन कारखानों के काम का स्वरूप कर्मचारियों ने स्वास्थ्य के लिये हानि प्रद है—उनके कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिये अभी तक कोई सुविधायें नहीं दी गयी हैं।

२१–किसी भी विभाग या संस्थान में काम के बोझ का निर्धारण शास्त्रीय आधार पर होना चाहिये।

१३–कर्मचारियों की प्रोबेशन अवधि लम्बी है उसे कम की जाय।

१४–योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध होते हुए पदों को रिक्त न रखा जाय।

१५–आज कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। अस्तु यह सिद्धांत स्वीकार किया जाय किसी भी कर्मचारी को उसके काम से तब तक न हटाया जाय जब तक कि उसे उसी समान वेतन तथा सुविधा की दूसरी वैकल्पिक नौकरी न दे दी जाय।

१६–ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के Victimisation सम्बन्धी मामलों तथा अन्य विवादों को देखने के लिये एक मशीनरी की अत्यन्त आवश्यकता है।

१७–२५ वर्षों की सेवा तथा ५० वर्ष की आयु पर रिटायर करने अथवा न करने का अधिकार अफसरों को देने से पक्षपात बढ़ेगा अस्तु एक निश्चित नीति तय की जाय।

१८–ठीके की प्रथा समाप्त की जाय। साथ ही यदि कहीं ठीके पर काम लेना आवश्यक ही हो तो कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा वेतन श्रेणियों का उत्तरदायित्व सरकार को स्वयं लेना चाहिये।

१९–प्रतिरक्षा विभाग से सम्बन्धित अनुषांगिक संस्थानों के कर्मचारियों को नियमित विभागीय कर्मचारी नहीं माना जाता है और न ही इस पर सोच विचार ही किया गया हैं।

२०–जिन कारखानों के काम का स्वरूप कर्मचारियों ने स्वास्थ्य के लिये हानि प्रद है—उनके कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिये अभी तक कोई सुविधायें नहीं दी गयी हैं।

२१–किसी भी विभाग या संस्थान में काम के बोझ का निर्धारण शास्त्रीय आधार पर होना चाहिये।

२२–समान स्तर के काम करने वाले कर्मचारियों की वेतन श्रेणियाँ और सुविधायें समान हों।

२३–कर्मचारियों के भविष्य निधि की ब्याज दर पुरानी है अस्तु आज के अनुसार उसका पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए।

२४–मेडिकल रिइम्बर्समेंट तथा चिल्ड्रेन्स एजूकेशन एलाउन्स के बारे में आज की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है।

२५–कर्मचारियों की कन्टेजेन्सी (Contingency) सेवा से अवकाश प्राप्ति के समय नियमित सेवा में जोड़ा जाना चाहिए।

२६–कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय शिक्षा व भाषा का माध्यम तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को परेशानी न उठानी पड़े।

२७–वर्ष में सब कर्मचारियों को एक बार रेलवे फ्री पास की व्यवस्था होनी चाहिए।

२८–कर्मचारियों के लिये सर्वंकष श्रम कल्याण योजना के विकास तथा क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

२९–कर्मचारियों को समुचित न्याय पाने के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की जाय।

——o——

अधिवेशन का संक्षिप्त विवरण

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का द्विदिवसीय प्रथम वार्षिक अधिवेशन दि० ११ व १२ मई को मुरादनगर (जि० मेरठ, उत्तर प्रदेश) स्थित आर्डीनेन्स फैक्ट्री इन्टर कालेज में सम्पन्न हुआ।

भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय मन्त्री श्री सलेकचन्द्र अधिवेशन के संयोजक थे और स्वागत मन्त्री श्री श्रीकृष्ण गौड़, इसके साथ ही प्रबन्ध का सारा उत्तरदायित्व लिये हुये थे अध्यापक श्री मुरारीलाल।

फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, अन्यान्य अधिकारी, कालेज के प्रधानाचार्य व अध्यापक वृन्द के सहयोग से अधिवेशन का कार्यक्रम सुचारु रूप से चला। प्रतिनिधियों के आवास व्यवस्था की पूछ ताछ के लिये स्वयं जनरल मैनेजर अधिवेशन स्थल पर पहुंचे थे।

प्रतिनिधियों के लिये ट्रेन व बस स्टैण्ड पर स्वागत की व्यवस्था की गयी थी तथा स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक तोरण व झंडों से समूचा मार्ग सजाया गया था।

अधिवेशन के अन्यान्य औपचारिक कार्यक्रम के अलावा प्रतिनिधियों ने तृतीय वेतन मंडल की स्थापना के लिये आन्दोलन लेने व संगठन तथा कार्य वृद्धि के लिये दौरे आदि लेने का निश्चय किया।

अधिवेशन में समूचा समय देकर भारतीय मजदूर संघ के महामन्त्री व ससद सदस्य श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी, उत्तर प्रदेश मजदूर संघ के महामन्त्री श्री रामनरेश सिंह एम० एल०सी० तथा विदर्भ प्रदेश मजदूर संघ के प्रधानमन्त्री श्री गोविन्दराव आठवले ने प्रतिनिधियों का मार्ग दर्शन किया।

अधिवेशन का संक्षिप्त विवरण

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का द्विदिवसीय प्रथम वार्षिक अधिवेशन दि० ११ व १२ मई को मुरादनगर (जि० मेरठ, उत्तर प्रदेश) स्थित आर्डीनेन्स फैक्ट्री इन्टर कालेज में सम्पन्न हुआ ।

भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय मन्त्री श्री सलेकचन्द्र अधिवेशन के संयोजक थे और स्वागत मन्त्री श्री श्रीकृष्ण गौड़, इसके साथ ही प्रबन्ध का सारा उत्तरदायित्व लिये हुये थे अध्यापक श्री मुरारीलाल ।

फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, अन्यान्य अधिकारी, कालेज के प्रधानाचार्य व अध्यापक वृन्द के सहयोग से अधिवेशन का कार्यक्रम सुचारु रूप से चला । प्रतिनिधियों के आवास व्यवस्था की पूछ ताछ के लिये स्वयं जनरल मैनेजर अधिवेशन स्थल पर पहुंचे थे ।

प्रतिनिधियों के लिये ट्रेन व बस स्टैण्ड पर स्वागत की व्यवस्था की गयी थी तथा स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक तोरण व झंडों से समूचा मार्ग सजाया गया था ।

अधिवेशन के अन्यान्य औपचारिक कार्यक्रम के अलावा प्रतिनिधियों ने तृतीय वेतन मंडल की स्थापना के लिये आन्दोलन लेने व संगठन तथा कार्य वृद्धि के लिये दौरे आदि लेने का निश्चय किया ।

अधिवेशन में समूचा समय देकर भारतीय मजदूर संघ के महामन्त्री व ससद सदस्य श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी, उत्तर प्रदेश मजदूर संघ के महामन्त्री श्री रामनरेश सिंह एम० एल०सी० तथा विदर्भ प्रदेश मजदूर संघ के प्रधानमन्त्री श्री गोविन्दराव आठवले ने प्रतिनिधियों का मार्ग दर्शन किया ।